39–(08)–30–2015

पटना में दिनांक–01 सितम्बर, 2015 मंगलवार को अपराह्न 06:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1. उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश–कर की राशि का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान करने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका–1 में संशोधन की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 1. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायतशासी संस्थानों बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना, बिहार ललित कला अकादमी, पटना एवं भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त क्रमशः ₹ 40,00,000/–(चालीस लाख), ₹ 40,00,000/–(चालीस लाख) एवं ₹ 20,00,000/–(बीस लाख), अर्थात कुल ₹ 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 2. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

3. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतनमद में 10210.66 लाख रू० (एक अरब दो करोड़ दस लाख छियासठ हजार रू०) वेतनादि के अलावा मद में 900.00 लाख रू० (नौ करोड़) रूपये तथा परिसंपत्ति के निर्माण मद में 300.00 लाख रू० (तीन करोड़) रूपये कुल 11410.66 रू० (एक अरब चौदह करोड़ दस लाख छियासठ हजार रू०) सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 3. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

4. बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि–7 (उद्यान) नियमावली, 2015 की स्वीकृति के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

5. राज्य के 38 जिलों के लिए GIS Delineated Microwatershed Maps, Land use Maps, Soil Classification, Slope maps आदि तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में Bihar Remote Sensing Application Centre, तारामंडल, पटना को भुगतेय राशि 62.40 लाख (बासठ लाख चालीस हजार) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

कृषि विभाग

6. नियोजित कृषि समन्वयकों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

कृषि विभाग

7. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को गैर योजना मद में वेतन वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतनादि में 95,89,15,220/–रू० (पंचानवें करोड़ नवासी लाख पन्द्रह हजार दो सौ बीस रू०) वेतनादि के अलावा मद में 7,00,00,000/–रू० (सात करोड़) रूपये तथा परिसंपत्ति के निर्माण मद में 4,00,00,000/–रू० (चार करोड़) रूपये कुल 1,06,89,15,220/–रू० (एक अरब छः करोड़ नवासी लाख पन्द्रह हजार दो सौ बीस रू०) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा बजट उपबंध की सीमा में विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

8. मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखंड में जमुने नदी पर हरलाखी वीयर सिंचाई योजना का पुनर्निर्माण कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 2401.20 लाख (चौबीस करोड़ एक लाख बीस हजार) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 23.99 करोड़ (₹ तेईस करोड निन्नायवे लाख) मात्र की लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दुग्ध समितियों का गठन, स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना, दुग्ध एवं दुग्धजन्य उत्पादों की जाँच हेतु प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण, चीज पैंकिंग मशीन की स्थापना, दुग्ध संग्रहण केन्द्र का निर्माण, स्वचालित मिल्कींग मशीन की स्थापना तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की योजना की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

11. विभाग द्वारा गैर योजना मद से संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में संविदा/नियत मानदेय पर नियोजित व्याख्याता/ शिक्षक की वित्तीय वर्ष 2015–16 में पुनर्नियोजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

12. स्पेशल प्लान (BRGF) अंतर्गत पटना में AIIMS (NH-98) से दीघा रेल–सह–सड़क पुल के पटना छोर तक 2–लेन सड़क एवं 4–लेन Elevated Lane के साथ NHAI के Leftover कार्य [AIIMS (NH-98) से दीघा रेल–सह–सड़क पुल के पटना छोर तक पहुंच पथ का निर्माण कार्य] एवं दीघा रेल–सह–सड़क पुल से अशोक राजपथ की अतिरिक्त Connectivity कार्य, जिसकी राशि रू० 1231.06 करोड़ है (परिशिष्ट–I), राज्य योजना में उपलब्ध निधि से कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

13. श्री रविन्द्र कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति (निलंबित) मुख्यालय जिला योजना कार्यालय पूर्णियाँ के रंगे हाथ धुस लेते पकड़े जाने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

14. सी०डब्लू०जे०सी० सं०–21106/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–24.12.2014 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री अविनेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) को मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

15. वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण के सदस्य (लेखा) के पद पर श्री कृष्णा नन्द राय, वाणिज्य–कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना की नियुक्ति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

वित्त विभाग

16. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194 एवं 271 में संशोधन के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

विधि विभाग

17. वित्तीय वर्ष 2014–15 के बकाये 1,00,00,000/–(एक करोड़) रूपये सहित वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के लिए कुल :–2,00,00,000/–(दो करोड़) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में सहायक अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. राज्य में भूमि विवाद के मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु 5 पंचायतों पर एक अमीन तथा एक अंचल में अधिकतम 5 अमीनों के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. श्री मुरलीधर पाण्डेय, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक पाकुड़ सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध पाकुड़ पदस्थापन काल में गठित आरोपों पर संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के आधार पर वृहद दण्ड सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal) के प्रस्ताव पर स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली, समस्तीपुर के कर्मियों को वेतनादि, सेवा निवृत्त कर्मियों के बकाये वेतनान्तर की राशि एवं अन्य व्यय हेतु रू० 1,12,00,000/–(एक करोड़ बारह लाख) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 20. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

21. दिनांक–31.03.2015 के पश्चात बिहार स्टेट बाईड एरिया नेटवर्क (BSWAN) के Operations & Maintenance हेतु Vendor को दिनांक–01.04.2015 से 31.11.2015 तक की (Extended Period) विस्तारित अवधि तक के लिए कुल प्राक्कलित राशि ₹ 6,22,66,240.00 (छः करोड़ बाईस लाख छियासठ हजार दो सौ चालीस) मात्र के साथ–साथ उक्त अवधि में योजनान्तर्गत डीजल के व्यय की प्रतिपूर्ति DG Set में डीजल आपूर्ति पर हुए वास्तविक व्यय के आधार पर M/s TATA Consultancy Services को भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। — 21. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

22 श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजत व्यवसाय अनुदेशकों में से कुल 219 (दो सौ उन्नीस) व्यवसाय अनुदेशकों के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1029 दिनांक–19.01.2012 एवं संकल्प संख्या–17415, दिनांक–20–12–12 को शिथिल करते हुए दिनांक–01–06–2015 से 31–05–2016 (एक वर्ष) तक अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए अवधि विस्तार करने के संबंध में। — 22. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

23. राज्य में जगदीशपुर, पीरो, बेलसंड, पुपरी एवं बेनीपट्टी अनुमंडलों में कुल 05 अनुमंडलीय न्यायालयों के गठन हेतु गैर योजना मद में स्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 10 (दस) पदों का सृजन। — 23. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

24. श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा (सम्प्रति निलंबित) को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 24. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

25. मोतिहारी न्यायमंडल के अंतर्गत सिकरहना में सिविल जज (वरीय कोटि) संवर्ग में सब जज के 01 (एक) पद का सृजन। — 25. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी)

26. चालक सिपाही की नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक–1708, दिनांक–03 मार्च, 2014 के द्वारा निर्गत अधिसूचना जिसके द्वारा बिहार पुलिस हस्तक 1978 खंड–III के परिशिष्ट–72 के खंड–4 के बाद खंड–4 (क) जोड़ते हुए प्रक्षेत्र स्तर पर चयन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, को विलोपित करते हुए सिपाही नियुक्ति के लिये पुलिस महानिदेशक के द्वारा गठित केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती बोर्ड) को ही चालक सिपाही की नियुक्ति के लिये प्राधिकृत करने से संबंधित संशोधन के संबंध में।

26. **स्वीकृत।**

गृह (विशेष) विभाग

27. बिहार गृह रक्षा वाहिनी जिला समादेष्टा संवर्ग के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली–2005 के संगत नियमों में आवश्यक संशोधन के संबंध में।

27. **स्वीकृत।**

गृह (विशेष) विभाग

28. दिनांक–03.06.2011 को फारबिसगंज जिला–अररिया मे हुई पुलिस गोलीकांड की न्यायिक जाँच हेतु गठित आयोग का दिनांक–01.09.2015 सक 30.11.2015 तक अवधि विस्तार के संबंध में।

28. **स्वीकृत।**

गृह (विशेष) विभाग

29. बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पौत्री/नतीनी की शादी हेतु अनुदान के रूप में 51,000 (एक्यावन हजार रूपये) मात्र का भुगतान एवं राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के संबंध में।

29. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

30. "मिथिला चित्रकला संस्थान सेवा नियमावली, 2015" की स्वीकृति के संबंध में।

30. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

31. बिहार राज्य विधि आयोग का कार्यकाल दिनांक–07.09.2015 से तीन वर्षों का अवधि विस्तार एवं अध्यक्ष के पद पर सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्री अभिजीत सिन्हा की नियुक्ति के संबंध में।

31. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

32. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के आलोक में गठित बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण के अंतर्गत "बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी" (BGCMS) में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 32 पदों का सृजन एवं उस पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 2,56,80,000.00 (दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — 32. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

33. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कार्यरत कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) का मासिक पारिश्रमिक 20,000/– (बीस हजार) रूपये से बढ़ाकर 27,000/– (सताईस हजार) रूपये मात्र करने के संबंध में। — 33. स्वीकृत।

निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

34. पेय स्पिरिट, वाईन या लिकर चाहे आयातित या भारत में निर्मित हो यदि ऐसे पेय स्पिरिट, वाईन या लिकर का एक्स डिस्टीलरी मूल्य 845/– (आठ सौ पैंतालिस) रूपये प्रति केस से अधिक है, उसके बिहार राज्य में बिक्रय के किसी श्रृंखला में बिक्रय के प्रत्येक चरण पर अधिरोपित 50 प्रतिशत वैट में संशोधन के संबंध में। — 34. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

35. जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि का भुगतान। — 35. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

36. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित किये जाने वाले योजनाओं एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन से उद्‌भुद बोनस एवं प्रतिपूर्ति राशि को राज्य के किसानों एवं चीनी मिलों को भुगतान करने हेतु मुख्यशीर्ष–2852–उद्योग के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से 38,30,00,000.00 (अड़तीस करोड़ तीस लाख रूपये) अग्रिम स्वीकृति के संबंध में। — 36. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

37. "अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान नियमावली, 2014" अंतर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि तथा अन्य प्रावधानों में संशोधन के संबंध में। — 37. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

38. संयुक्त जुड़वा बहनों सबा एवं फरहा शकील, पिता मो० शकील अहमद, ग्राम–समनपुरा, राजाबाजार, पोस्ट–भेटनरी कॉलेज, पटना की देख–रेख के लिए प्रतिमाह रू० 20,000/– (बीस हजार रूपये) आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति। — 38. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

39. गया जिलान्तर्गत बोधगया अंचल के थाना नं०–359, 362, 361 एवं 424 मौजा क्रमशः बोधगया, तुरीबुजुर्ग, रामपुर एवं मोचारिन के विभिन्न खाता एवं खेसरा (भूमि विवरणी संलग्न–अनुलग्नक–I) की मगध विश्वविद्यालय के स्वामित्व की कुल–118.82 एकड़ भूमि भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बोधगया के निर्माण हेतु भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बोधगया को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। — 39. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

40. पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर अंचल के मौजा–देदौर, थाना नं०–445, के विभिन्न खाता एवं खेसरा (विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–1) की कुल रकबा–10.00 एकड़ कृषि फॉर्म की भूमि अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर, पटना की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। — 40. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

41 बख्तियारपुर (पटना) में नया अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में। — 41. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

42. विश्व बैंक कार्यक्रम "ENHANCING TEACHER EFFECTIVENESS IN BIHAR" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की अवधि में विश्व बैंक के साथ हुए समझौता में निर्धारित Disbursment linked indicators के अनुरूप प्रति वर्ष निर्धारित राशि एवं इस प्रकार लगभग कुल ₹2234.00 करोड़ रूपये (बाईस अरब चौंतीस करोड़ रूपये) जिसमें विश्व बैंक एवं राज्य का हिस्सा 70:30 है, के व्यय की स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित Disbursment linked indicators के अनुरूप निर्धारित कार्यों के लिए कुल ₹36922.20 लाख रूपये (तीन सो उनहत्तर करोड़ बाइस लाख बीस हजार रूपये), जिसमें विश्व बैंक एवं राज्य का हिस्सा क्रमशः ₹25657.80 लाख रूपये (दो सौ छप्पन करोड़ संतावन लाख अस्सी हजार रूपये) एवं ₹11264.40 लाख रूपये (एक सौ बारह करोड़ चौसठ — 42. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

43. अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के लिये गैरयोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्थापना मद में उपबंधित कुल 1,43,00,000/– (एक करोड़ तेतालिस लाख) रूपये में से रूपये 1,30,00,000/– (एक करोड़ तीस लाख) मात्र राशि की सहायक अनुदान की स्वीकृति।

43. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

44. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत राज्यांश की अवशेष राशि से केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में भारत सरकार द्वारा 100 बालिका छात्रावास को प्रारंभ एवं संचालित करने हेतु ₹ 18,66,50,000/–(अठारह करोड़ छियासठ लाख पचास हजार) रूपये में वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय की स्वीकृति।

44. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

45. ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान को वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत रू० 1,65,00,000/– (एक करोड़ पैंसठ लाख) सहायक अनुदान स्वीकृति के संबंध में।

45. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

46. वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु राज्यांश ₹ 140.65 लाख (एक करोड़ चालीस लाख पैंसठ हजार) एवं प्रदत्त केन्द्रांश ₹ 517.68 लाख (पांच करोड़ सतरह लाख अड़सठ हजार) अर्थात् कुल ₹ 658.33 लाख (छः करोड़ अंठावन लाख तेतीस हजार) के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।

46. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

47. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रथम चरण के भवन निर्माण योजना हेतु कुल रू० 97,11,29,000/– (संतानवे करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

47. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

48. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा 2459+1 कोटि के मदरसों के अंतर्गत संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 में विहित माप–दण्ड पूरा करने वाले 609 मदरसों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.09.2015 से देय नियत वेतन के लिए अनुदान की राशि रूपये 25,43,03,000/– (पचीस करोड़ तैतालिस लाख तीन हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 48. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

49. सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–19111/2012 उर्मिला देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2013 को पारित आदेश एवं विभागीय आदेश संख्या–4092 दिनांक–21.11.2011 एवं आदेश संख्या–1115 दिनांक–20.06.2013 के आलोक में विघटित, बिहार कॉलेज सेवा आयोग पटना, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग पटना एवं बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड पटना के कुल 79 (उन्नासी) सामंजित कर्मियों को दिनांक 01.01.1996 से वैचारिक तथा 01.04.1997 से वास्तविक एवं 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक 01.04.2007 से वास्तविक लाभ क्रमशः वित्त विभाग के संकल्प संख्या–660 दिनांक 08.02.1999 एवं संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 के प्रावधानों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने एवं पूर्व में वेतन निर्धारण लाभ प्राप्त होने के कारण पुनः वेतन निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा। इन कर्मियों को 01.04.1997 एवं 01.04.2007 से मात्र अन्तर राशि भुगतेय होने की स्वीकृति के संबंध में। — 49. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

50. "बिहार अराजकीय संस्कृत विद्यालय (प्रस्वीकृति एवं शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में कुल 69 अराजकीय वित्त रहित प्रस्वीकृत प्राप्त प्राथमिक–सह–मध्य/प्राथमिक–सह–उच्च/संस्कृत उच्च विद्यालयों को वित्त की श्रेणी में लाते हुए कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.09.2015 से देय नियत वेतन देने एवं प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, महिनाथपुर, वरमोतरा, सुपौल में संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर्मियों को दिनांक 01.09.2015 से देय नियत वेतन भुगतान हेतु अनुदान की राशि कुल ₹3,54,55,000/– (तीन करोड़ चौवन लाख पचपन हजार) मात्र की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति के संबंध में। — 50. स्वीकृत।